सराहनीय कार्य

#CRACKDOWN

इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 15.09.2023

इटावा पुलिस द्वारा 20,000/- रुपये के इनामिया शातिर लूटेरे को पुलिस मुठभेड मे किया गया गिरफ्तार , कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल (घटना में प्रयुक्त), अवैध तमंचा,खोखा व जिंदा कारतूस किये गये बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में ***थाना बसरेहर, थाना चौबिया एवं थाना बढ़पुरा*** पुलिस टीम द्वारा संयुक्त रूप से की गयी कार्यवाही।

गिरफ्तारी/बरामदगी का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद मे अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं इनामिया/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशो के क्रम मे दिनांक 14.09.2023 की रात्रि को थाना बसरेहर व थाना बढ़पुरा पुलिस द्वारा थाना बसेरहर क्षेत्रान्तर्गत किल्ली रोड पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग की जा रही थी। इसी दौरान किल्ली की ओर से आ रहे पल्सर मोटरसाइकिल सवार 01 व्यक्ति को रोकने का इशारा किया तो मुड़कर तेजी से भदामई पुल थाना चौबिया की ओर भागने लगा जिसके संबंध में पीछा कर रही पुलिस टीम द्वारा थानाध्यक्ष चौबिया को अवगत कराया गया। थानाध्यक्ष चौबिया जोकि पहले से ही पुलिस टीम के साथ भदामई पुल पर चैकिंग कर रहे थे उनके द्वारा पल्सर मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया तो अपने आपको पुलिस टीमों से घिरता देख उसके द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया, पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गयी जिसमें मुठभेड के दौरान **अभियुक्त सौरभ शाक्य पुत्र अशोक कुमार** को घायल अवस्था मे **अवैध तमंचा, खोखा व जिंदा कारतूस सहित समय 11.42 बजे** गिरफ्तार किया गया।

पुलिस पूछताछः-

पकडे गये अभियुक्त की तलाशी ली गयी तो उसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 खोखा कारतूस, 02 जिंदा कारतूस 315 बोर व 01 मिस कारतूस 315 बोर बरामद किये गये एवं मोटर साइकिल के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर बताया कि यह मोटर साइकिल उसके द्वारा जनपद मेरठ से चोरी की गयी है।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध मे थाना बसरेहर पर मु0अ0सं0 88/23 धारा 307/411 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है।

नोटः- *अभियुक्त सौरभ शाक्य पुत्र अशोक कुमार उपरोक्त थाना बसरेहर से मु0अ0सं0 67/23 धारा 307/411/420 भादवि व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना चौबिया से मु0अ0सं0 93/23 धारा 392/411 भादवि, तथा थाना सिविल लाइन से मु0अ0सं0 176/23 धारा 392/411 में दिनांक 01.08.2023 से वांछित है तथा थाना सिविल लाइन पर पंजीकृत अभियोग में 20,000/- रुपये का इनामिया अभियुक्त है।*

गिरफ्तार अभियुक्त-

सौरभ शाक्य पुत्र अशोक कुमार निवासी कैलामऊ थाना बसरेहर जनपद इटावा उम्र 23 वर्ष।

बरामदगी:-

1. 01 अवैध तमंचा 315 बोर
2. 03 खोखा कारतूस 315 बोर
3. 02 जिंदा कारतूस 315 बोर
4. 01 मिस कारतूस 315 बोर
5. 1050/- रूपये नकद
6. 01 पल्सर मोटरसाइकिल रंग काला **(घटना मे प्रयुक्त जनपद मेरठ से चोरी की गयी)**

पंजीकृत अभियोग:-

1. मु0अ0सं0 88/23 धारा 307/411 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बसरेहर जनपद इटावा।

आपराधिक इतिहास:-

सौरभ शाक्य पुत्र अशोक कुमार

1. मु0अ0सं0 257/18 धारा 392/411 भादवि थाना इकदिल जनपद इटावा
2. मु0अ0सं0 173/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बसेरहर जनपद इटावा
3. मु0अ0सं0 11/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बसेरहर जनपद इटावा
4. मु0अ0सं0 314/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फ्रेण्डस कालोनी जनपद इटावा
5. मु0अ0सं0 93/23 धारा 392/411 भादवि थाना चौबिया जनपद इटावा
6. मु0अ0सं0 176/23 धारा 392/411 थाना सिविल लाइन जनपद इटावा
7. मु0अ0सं0 67/23 धारा 307/411/420 भादवि व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बसेरहर जनपद इटावा।
8. मु0अ0सं0 88/23 धारा 307/411 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बसरेहर जनपद इटावा।

पुलिस टीम:- **प्रथम टीम:-** उ0नि0 श्री सनत कुमार थानाध्यक्ष बसेरहर, उ0नि0 सौरभ राणा, का0 अरविन्द कुमार, का0 विनीत कुमार, हे0का0 चालक संतोष कुमार।

द्वितीय टीम:- उ0नि0 श्री बेचन कुमार सिंह थानाध्यक्ष बढ़पुरा, उ0नि0 महेश पाठक, हे0का0 प्रवीन कुमार सिंह, का0 शशिभान।

तृतीय टीम:- उ0नि मंसूर अहमद, उ0नि0 दर्शन सिंह सोलंकी, हे0का0 नौरतन सिंह, का0 रवि पवार, सन्दीप चौधरी